

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी।
सेवानिवृत्त आशुलिपिक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन
विज्ञापन सं0- 07 / 2025 (आशुलिपिक पद हेतु)

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वाराणसी में स्टेनोग्राफर के पद पर पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति ना होने तथा स्टेनोग्राफर का पद 13.10.2023 से अनवरत रिक्त होने तथा आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारी का मानदेय निर्धारित ना होने के फलस्वरूप मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी में स्टेनोग्राफर के एक पद के लिये उ०प्र० शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1324/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग- 3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 878/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019 तथा उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या एमएसीटी-73/30-3-2020 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 के अनुपालन में शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से जिला न्यायालय के ऐसे सेवानिवृत्त स्टेनोग्राफर्स एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी से विहित प्रारूप पर पूर्णतयः निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जो हाल ही में अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हुये हों या आगामी 31.10.2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हों और 65 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत संविदा के रूप में की जायेगी और यह पद शासन स्तर पर प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण से पद भरे जाते ही या संबंधित नियुक्त कर्मचारी के कार्य एवं आचरण संतोषजनक न होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जाएगी।

अस्थाई रूप से संविदा कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर वेतन देय होगा।

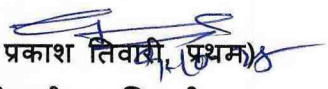
नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन स्तर पर संविदा कर्मियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अनुमन्य होगी।

इच्छुक जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त स्टेनोग्राफर्स जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हो या आगामी 31 अक्टूबर, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, विहित प्रारूप पर आवेदन दिनांक 31.10.2025 के सायं 05.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी के लेखा लिपिक को प्राप्त करा दें।

एम.ए.सी.टी., वाराणसी से त्यागपत्र दे चुके आशुलिपिकगण से अनुरोध है कि वह पुनः आवेदन ना करें।

आशुलिपिक के पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थी का चयन, पूर्व की सेवा के पांच वर्ष की चरित्र पंजिका व आशुलिपिक हेतु आशुलेखन एवं टंकण संबंधी ज्ञान एवं हस्तलेख एवं कम्प्यूटर तथा जनरल रूल सिविल की सामान्य जानकारी के आधार पर, समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त शासनादेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वाराणसी के लेखालिपिक के पास इच्छुक अभ्यर्थियों को अवलोकनार्थ उपलब्ध है।


(चन्द्र प्रकाश तिवारी, प्रथम)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
वाराणसी।

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या:-

आवेदित पद नाम:-

1. नाम.....

स्व हस्ताक्षरित

2. पिता/पति का नाम.....

पासपोर्ट साईज

नवीनतम फोटो

3. जन्म तिथि.....

4. सेवानिवृत्ति की तिथि व पदनाम जिससे सेवानिवृत्त हुये या सेवानिवृत्त होने वाले हैं.....

5. सेवा अवधि.....

6. सेवा निवृत्ति के बाद यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्य किया है तो विवरण.....

7. शैक्षिक योग्यता (स्व प्रमाणित छायाप्रतिया संलग्न करें).....

8. वर्तमान पता.....

9. स्थाई पता.....

10. ई-मेल आई.डी.....

11. मोबाईल नंबर.....

12. आधार संख्या- (कार्ड की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति भी संलग्न करें)-

13. पैन संख्या (कार्ड की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति भी संलग्न करें)-

14. स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई समस्या हो तो विवरण-

15. अन्य विवरण यदि कोई हो-

दिनांक-

स्थान-

प्रार्थी